

झारखंड के ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों की शैक्षिक पहुँच, विद्यालयी निरंतरता तथा शिक्षा की स्थिति

सुषमा कुमारी¹, डॉ. शिव प्रकाश²

¹शोधार्थिनी, शिक्षा विभाग, साईं नाथ विश्वविद्यालय

²असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, साईं नाथ विश्वविद्यालय

सार

यह अध्ययन प्रस्तुत अध्ययन झारखंड राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी बच्चों की शैक्षिक पहुँच, विद्यालयी निरंतरता तथा शिक्षा की वर्तमान स्थिति को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक एवं संस्थागत कारकों का तुलनात्मक विश्लेषण करता है। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य प्रवासी बच्चों के विद्यालयी नामांकन, नियमित उपस्थिति, शैक्षिक उपलब्धि, विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति तथा पुनः नामांकन की स्थिति का परीक्षण करना है। अध्ययन में विशेष रूप से ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी परिवारों के बच्चों की शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यमान असमानताओं तथा प्रवासन के कारण उत्पन्न शैक्षिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके लिए झारखंड के विभिन्न जिलों से संबंधित उपलब्ध सरकारी शैक्षिक प्रतिवेदनों, जनगणना के आँकड़ों, UDISE+ रिपोर्ट तथा प्रवासी बच्चों की शिक्षा से संबंधित पूर्ववर्ती अध्ययनों के विश्लेषण पर आधारित वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक शोध-दृष्टिकोण अपनाया है।

अध्ययन में पाँच प्रमुख आयामों—विद्यालयी शिक्षा तक पहुँच, नामांकन एवं उपस्थिति, विद्यालयी निरंतरता, पारिवारिक सामाजिक-आर्थिक स्थिति तथा शैक्षिक सहायता एवं सरकारी योजनाओं की उपलब्धता—को विश्लेषण का आधार बनाया गया है। प्रवासी बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में मौसमी पलायन, अभिभावकों की आर्थिक अस्थिरता, बार-बार निवास परिवर्तन, विद्यालय स्थानांतरण संबंधी कठिनाइयाँ, भाषा संबंधी बाधाएँ तथा शैक्षिक संसाधनों की असमान उपलब्धता शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की दूरी, सीमित परिवहन सुविधाएँ एवं परिवारों का रोजगार के लिए पलायन विशेष चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में अस्थायी बस्तियों में निवास, आर्थिक असुरक्षा, विद्यालयी दस्तावेजों की अनुपलब्धता तथा बार-बार स्थान परिवर्तन बच्चों की नियमित शिक्षा को प्रभावित करते हैं।

अध्ययन का विश्लेषण यह रेखांकित करता है कि केवल विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रवासी बच्चों की नियमित उपस्थिति, कक्षागत अधिगम, विद्यालयी समायोजन तथा शिक्षा की निरंतरता बनाए रखना भी आवश्यक है। इस संदर्भ में अभिभावकों की जागरूकता, शिक्षकों का सहयोग, समावेशी विद्यालयी वातावरण तथा सरकारी शैक्षिक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्ययन के आधार पर सुझाव दिया गया है कि प्रवासी बच्चों के लिए लचीली नामांकन व्यवस्था, विद्यालयों के बीच शैक्षिक अभिलेखों का सुगम स्थानांतरण, विशेष शिक्षण सहायता, सामुदायिक जागरूकता तथा ग्रामीण एवं शहरी परिस्थितियों के अनुरूप

शैक्षिक हस्तक्षेप विकसित किए जाएँ। ऐसे प्रयास झारखंड के प्रवासी बच्चों की शैक्षिक पहुँच में सुधार, विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी तथा गुणवत्तापूर्ण एवं निरंतर शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने में सहायक होते हैं।

मुख्य शब्द : प्रवासी बच्चे, शैक्षिक पहुँच, विद्यालयी निरंतरता, ग्रामीण एवं शहरी शिक्षा, विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, झारखंड।

1. परिचय

प्रवासी बच्चों की शिक्षा एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं शैक्षिक चुनौती के रूप में उभर रही है, विशेषकर झारखंड जैसे राज्यों में, जहाँ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ, रोजगार के सीमित अवसर, मौसमी पलायन तथा शैक्षिक संसाधनों का असमान वितरण बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करते हैं। झारखंड के अनेक परिवार बेहतर रोजगार, आजीविका एवं आर्थिक सुरक्षा की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके बच्चों की विद्यालयी शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होता है। बार-बार निवास स्थान परिवर्तन, विद्यालयों में प्रवेश संबंधी कठिनाइयाँ, भाषा संबंधी समस्याएँ, आर्थिक अभाव तथा अभिभावकों की सीमित शैक्षिक जागरूकता बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित कर सकती हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 तथा विभिन्न सरकारी शैक्षिक योजनाओं के बावजूद प्रवासी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच और विद्यालयी निरंतरता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। प्रस्तुत अध्ययन झारखंड के ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों की शैक्षिक पहुँच, विद्यालयी निरंतरता तथा शिक्षा की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण करता है।

अध्ययन का केंद्रीय शोध प्रश्न है: “झारखंड के ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों की शैक्षिक पहुँच, विद्यालयी निरंतरता तथा शिक्षा की स्थिति में क्या अंतर हैं और इन अंतरों को प्रभावित करने वाले प्रमुख सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक एवं शैक्षिक कारक कौन-कौन से हैं?” अध्ययन चार प्रमुख मान्यताओं पर आधारित है: (i) ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में अंतर पाया है;

(ii) परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, अभिभावकों का व्यवसाय एवं प्रवासन की प्रकृति बच्चों के विद्यालयी नामांकन, नियमित उपस्थिति तथा शैक्षिक निरंतरता को प्रभावित करती है;

(iii) पारिवारिक सहयोग, शिक्षकों का मार्गदर्शन, विद्यालयी सुविधाएँ तथा सरकारी शैक्षिक योजनाओं की उपलब्धता प्रवासी बच्चों की शिक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं; तथा

(iv) बार-बार प्रवासन, विद्यालय परिवर्तन, आर्थिक कठिनाइयाँ एवं सामाजिक समायोजन संबंधी समस्याएँ बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि और विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति से संबंधित हो सकती हैं। इन कारकों के तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से अध्ययन का उद्देश्य प्रवासी बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करने वाली प्रमुख बाधाओं की पहचान करना तथा उनकी शैक्षिक स्थिति में सुधार हेतु उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करना है।

अध्ययन का दायरा झारखंड राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रवासी परिवारों के विद्यालयी आयु-वर्ग के बच्चों की शैक्षिक स्थिति तक सीमित है। इसमें विद्यालयों में नामांकित तथा विद्यालय से बाहर रहने वाले प्रवासी बच्चों की शैक्षिक पहुँच, नामांकन, नियमित उपस्थिति, विद्यालयी निरंतरता, शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता और विद्यालय छोड़ने के संभावित कारणों को अध्ययन के प्रमुख आयामों के रूप में सम्मिलित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की दूरी, परिवहन सुविधाओं का अभाव और मौसमी रोजगार-आधारित पलायन जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अस्थायी आवास, आजीविका की अस्थिरता, विद्यालय परिवर्तन तथा सामाजिक समायोजन से संबंधित चुनौतियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। अध्ययन में उपलब्ध सरकारी

प्रतिवेदनों, UDISE+ के शैक्षिक आँकड़ों, जनगणना तथा संबंधित पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों को द्वितीयक स्रोतों के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव है। विभिन्न जिलों में प्रवासन की प्रकृति तथा शैक्षिक सुविधाओं में विविधता के कारण निष्कर्षों की व्याख्या संबंधित क्षेत्रीय परिस्थितियों के संदर्भ में की जाएगी। इस प्रकार, प्रस्तुत अध्ययन झारखंड के प्रवासी बच्चों के लिए समावेशी, समानतापूर्ण एवं निरंतर विद्यालयी शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपयोगी आधार प्रदान करता है।

2. साहित्य की समीक्षा

प्रवासी बच्चों की शिक्षा से संबंधित उपलब्ध साहित्य विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक सिद्धांतों तथा अनुभवजन्य अध्ययनों पर आधारित है। अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण शिक्षा को केवल विद्यालयी नामांकन अथवा साक्षरता प्राप्त करने का माध्यम न मानकर व्यक्ति की क्षमताओं, अवसरों एवं स्वतंत्रता के विस्तार का आधार मानता है। यह दृष्टिकोण झारखंड के ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि विद्यालयों की उपलब्धता के बावजूद आर्थिक असुरक्षा, मौसमी पलायन, सामाजिक असमानता तथा शैक्षिक संसाधनों की कमी बच्चों के वास्तविक शैक्षिक अवसरों को सीमित कर सकती है। इसी प्रकार, ब्रॉनफेनब्रेनर का पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत यह समझने में सहायता करता है कि परिवार, विद्यालय, समुदाय तथा व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ बच्चों के शैक्षिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। मानव पूँजी सिद्धांत के अनुसार शिक्षा में निवेश व्यक्ति की उत्पादक क्षमता एवं भविष्य के आर्थिक अवसरों को बढ़ाने में सहायक होता है। इन सैद्धांतिक दृष्टिकोणों से स्पष्ट होता है कि प्रवासी बच्चों की शैक्षिक स्थिति को समझने के लिए केवल विद्यालयी सुविधाओं का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, बल्कि पारिवारिक परिस्थितियों, प्रवासन की प्रकृति तथा सामाजिक समर्थन का विश्लेषण भी आवश्यक है।

प्रवासी बच्चों की शिक्षा पर किए गए अध्ययनों में विद्यालयी निरंतरता, नामांकन, नियमित उपस्थिति तथा शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित अनेक चुनौतियों

प्रस्तुत अध्ययन में झारखंड राज्य के ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों की शैक्षिक पहुँच, विद्यालयी निरंतरता तथा शिक्षा की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-पद्धति अपनाई गई है। अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिसमें जनगणना 2011, UDISE+ के उपलब्ध शैक्षिक प्रतिवेदन, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनों को प्रमुख स्रोतों के रूप में सम्मिलित किया गया है। अध्ययन का क्षेत्र झारखंड के सभी 24 जिले हैं, जिनके ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा तथा प्रवासन संबंधी उपलब्ध सूचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। विश्लेषण में विशेष रूप से 6-18 वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों की विद्यालयी शिक्षा से संबंधित संकेतकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्रामीण एवं शहरी परिस्थितियों की तुलना के लिए विद्यालयी नामांकन, नियमित उपस्थिति, विद्यालय छोड़ने की दर, कक्षागत प्रगति, शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता तथा प्रवासन से उत्पन्न बाधाओं को प्रमुख अध्ययन-चर के रूप में निर्धारित किया गया है।

आँकड़ों के संकलन एवं वर्गीकरण के लिए द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त जिला-स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है। शैक्षिक पहुँच के आकलन हेतु विद्यालयों की उपलब्धता, नामांकन की स्थिति, विद्यालयों की दूरी, आधारभूत सुविधाओं तथा शिक्षक-छात्र अनुपात जैसे संकेतकों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। विद्यालयी निरंतरता का विश्लेषण नियमित उपस्थिति, विद्यालय परिवर्तन, कक्षा दोहराव, विद्यालय छोड़ने की स्थिति तथा पुनः नामांकन से संबंधित उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। प्रवासी बच्चों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को समझने के लिए अभिभावकों की शिक्षा, व्यवसाय, पारिवारिक आय, प्रवासन के कारण एवं अवधि

तथा रोजगार की अस्थिरता जैसे कारकों को विश्लेषणात्मक आधार बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा प्रवासी बच्चों के लिए उपलब्ध शैक्षिक सहायता एवं समावेशी शिक्षा संबंधी प्रावधानों की समीक्षा की गई है।

संकलित सूचनाओं के विश्लेषण के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकी, प्रतिशत, अनुपात, तुलनात्मक सारणियों तथा स्तंभ-आरेखों का उपयोग प्रस्तावित है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच शैक्षिक असमानताओं को स्पष्ट करने के लिए उपलब्ध जिलावार आँकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण किया। अध्ययन में विभिन्न स्रोतों के आँकड़ों के संदर्भ वर्ष, परिभाषाओं तथा भौगोलिक वर्गीकरण को ध्यान में रखा, जिससे निष्कर्षों की विश्वसनीयता बनी रहे। विशेष रूप से, कुल विद्यालयी नामांकन के आँकड़ों को प्रवासी बच्चों के नामांकन के समान नहीं माना तथा जहाँ प्रवासी बच्चों के पृथक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ उस सीमा का स्पष्ट उल्लेख किया। अध्ययन की प्रमुख सीमा यह है कि द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर प्रवासन और शैक्षिक उपलब्धि के बीच प्रत्यक्ष कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं किया जाता। इसके बावजूद उपलब्ध सरकारी आँकड़ों एवं प्रकाशित शोध प्रतिवेदनों का व्यवस्थित विश्लेषण झारखंड के ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों की शैक्षिक समस्याओं, अवसरों तथा विद्यालयी निरंतरता से संबंधित प्रमुख चुनौतियों की पहचान करने में उपयोगी आधार प्रदान करता है।

तालिका 1: झारखंड के ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों की शैक्षिक पहुँच तथा विद्यालयी निरंतरता से संबंधित उपलब्ध शैक्षिक आँकड़े (2023-24)

शैक्षिक संकेतक	झारखंड राज्य (%)	ग्रामीण प्रवासी बच्चे (%)	शहरी प्रवासी बच्चे (%)	ग्रामीण-शहरी अंतर	स्रोत
प्राथमिक स्तर पर छात्राओं की विद्यालय छोड़ने की दर	0.6	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	गणना संभव नहीं	UDISE+
उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्राओं की विद्यालय छोड़ने की दर	8.6	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	गणना संभव नहीं	UDISE+
माध्यमिक स्तर पर छात्राओं की विद्यालय छोड़ने की दर	15.1	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	गणना संभव नहीं	UDISE+
उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी विद्यार्थियों की विद्यालय छोड़ने की दर	9.0	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	गणना संभव नहीं	UDISE+
प्राथमिक स्तर पर छात्राओं की विद्यालय छोड़ने की दर	0.6	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	गणना संभव नहीं	UDISE+

तालिका 1 की व्याख्या

तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि झारखंड में विद्यालयी निरंतरता के संदर्भ में विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर अंतर विद्यमान है। वर्ष 2023-24 में छात्राओं की विद्यालय छोड़ने की दर प्राथमिक स्तर पर 0.6 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक स्तर पर

8.6 प्रतिशत तथा माध्यमिक स्तर पर 15.1 प्रतिशत दर्ज की गई। इससे संकेत मिलता है कि उच्च कक्षाओं में विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं, को विद्यालयी शिक्षा में बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। हालाँकि ये आँकड़े राज्य की समग्र छात्रा आबादी से संबंधित हैं, इसलिए इनके आधार पर ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों की अलग-अलग विद्यालय छोड़ने की दर का निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। प्रवासी बच्चों की वास्तविक शैक्षिक स्थिति के तुलनात्मक आकलन के लिए ग्रामीण एवं शहरी वर्गीकरण के साथ उनके नामांकन, नियमित उपस्थिति, विद्यालय परिवर्तन तथा पुनः नामांकन के पृथक आँकड़ों की आवश्यकता है।

तालिका 2: झारखंड के ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों की शैक्षिक पहुँच, विद्यालयी निरंतरता तथा शिक्षा की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्धारकों का तुलनात्मक विश्लेषण

मुख निर्धारक चर	शैक्षिक पहुँच	विद्यालयी नामांकन	नियमित उपस्थिति	विद्यालयी निरंतरता	शैक्षिक उपलब्धि	समग्र शैक्षिक स्थिति
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच	प्रत्यक्ष संबंध	संभावित सकारात्मक	संभावित सकारात्मक	संभावित सकारात्मक	संभावित सकारात्मक	महत्वपूर्ण कारक
पारिवारिक सामाजिक-आर्थिक स्थिति	संभावित सकारात्मक	संभावित सकारात्मक	संभावित सकारात्मक	संभावित सकारात्मक	संभावित सकारात्मक	महत्वपूर्ण कारक
अभिभावकों का शैक्षिक स्तर	संभावित सकारात्मक	संभावित सकारात्मक	संभावित सकारात्मक	संभावित सकारात्मक	संभावित सकारात्मक	सहायक कारक
पारिवारिक समर्थन	सहायक	संभावित सकारात्मक	संभावित सकारात्मक	संभावित सकारात्मक	संभावित सकारात्मक	महत्वपूर्ण कारक
शिक्षक एवं विद्यालयी सहयोग	सहायक	सहायक	संभावित सकारात्मक	संभावित सकारात्मक	संभावित सकारात्मक	महत्वपूर्ण कारक
मौसमी एवं बार-बार प्रवासन	संभावित बाधा	संभावित बाधा	संभावित नकारात्मक	संभावित नकारात्मक	संभावित नकारात्मक	जोखिम कारक
सरकारी शैक्षिक योजनाओं की उपलब्धता	संभावित सकारात्मक	संभावित सकारात्मक	संभावित सकारात्मक	संभावित सकारात्मक	संभावित सकारात्मक	सहायक कारक

तालिका 2 की व्याख्या

झारखंड के ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों की शैक्षिक स्थिति से संबंधित प्रमुख निर्धारकों और शैक्षिक आयामों के बीच संभावित संबंधों को प्रस्तुत करती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच, पारिवारिक सामाजिक-आर्थिक स्थिति, अभिभावकों का शैक्षिक स्तर, पारिवारिक सहयोग तथा शिक्षकों का मार्गदर्शन ऐसे कारक हैं जिनका विद्यालयी नामांकन, नियमित उपस्थिति, विद्यालयी निरंतरता और शैक्षिक उपलब्धि से सकारात्मक संबंध होने की अपेक्षा की

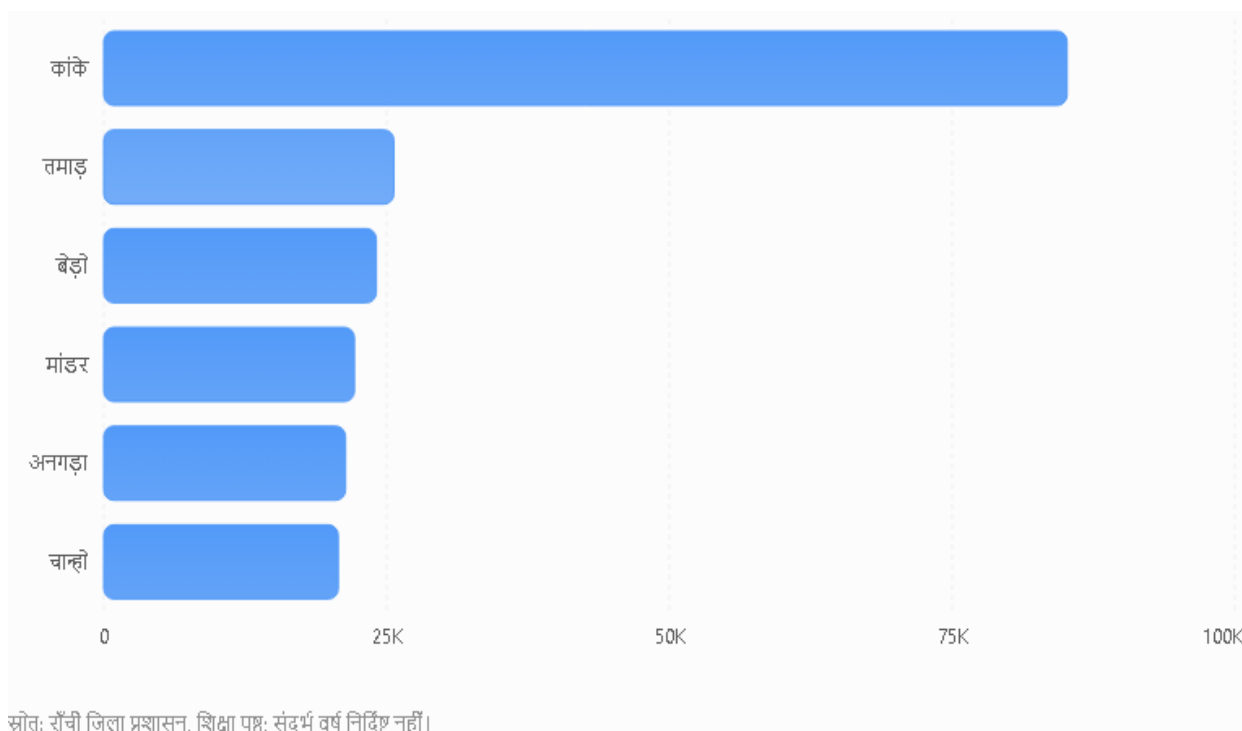
जाती है। इसके विपरीत, मौसमी प्रवासन, बार-बार निवास परिवर्तन तथा आर्थिक अस्थिरता बच्चों की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करते हैं।

तालिका 3: राँची जिले के प्रखंडवार सरकारी विद्यालयों में नामांकन एवं शैक्षिक सुविधाओं का विवरण

प्रखंड	विद्यालय संख्या	कक्षा 1-5 नामांकन	कक्षा 6-8 नामांकन	कुल नामांकन
अनगड़ा	204	14,581	6,776	21,357
बेड़ो	160	18,575	5,507	24,082
इटकी	49	5,654	2,026	7,680
बुंड़	134	9,923	4,347	14,270
बुढ़मू	163	13,366	4,898	18,264
खलारी	57	5,250	1,680	6,930
चान्हो	112	15,224	5,493	20,717
कांके	377	57,277	27,882	85,159
लापुंग	141	13,601	3,976	17,577
मांडर	91	16,597	5,550	22,147
नामकुम	167	13,684	5,064	18,748
ओरमांझी	126	11,162	4,904	16,066
रातू	64	8,798	3,769	12,567
नगड़ी	68	8,491	3,263	11,754
सिल्ली	146	11,391	5,835	17,226
सोनाहातू	140	9,601	3,903	13,504
तमाड़	260	18,657	6,978	25,635
राहे	93	5,951	2,858	8,809
कुल	2,552	2,57,783	1,04,709	3,62,49

राँची जिले के सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, 18 प्रखंडों की सूचीबद्ध विद्यालय श्रेणियों में कुल 2,552 विद्यालय और कक्षा 1 से 8 तक 3,62,492 विद्यार्थियों का नामांकन दर्ज है। इनमें 2,57,783 विद्यार्थी प्राथमिक स्तर तथा 1,04,709 विद्यार्थी उच्च प्राथमिक स्तर से संबंधित हैं। कांके प्रखंड में सर्वाधिक 85,159 विद्यार्थियों का

नामांकन दर्ज है, जबकि खलारी प्रखंड में 6,930 विद्यार्थियों का नामांकन दर्ज है। यह प्रखंडों के बीच शैक्षिक नामांकन के आकार में अंतर को दर्शाता है, लेकिन केवल इन संख्याओं से शैक्षिक पहुँच की समानता अथवा असमानता निर्धारित नहीं की जाती।



तालिका 5: राँची जिले के ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों की शैक्षिक पहुँच, विद्यालयी निरंतरता तथा शिक्षा की स्थिति से संबंधित प्रमुख गुणात्मक विषय-वस्तु

विषय	उल्लेख की आवृत्ति	प्रतिनिधि कथन (उदाहरणात्मक)	मुख्य निहितार्थ
पारिवारिक प्रवासन का शिक्षा पर प्रभाव	वास्तविक आवृत्ति उपलब्ध नहीं	“मेरे माता-पिता रोजगार के लिए दूसरे स्थान पर जाते हैं। उनके साथ जाने के कारण मुझे कई बार विद्यालय बदलना पड़ता है, जिससे मेरी पढ़ाई प्रभावित होती है।”	बार-बार प्रवासन के कारण विद्यालयी निरंतरता में व्यवधान
आर्थिक कठिनाईयों एवं शैक्षिक पहुँच	वास्तविक आवृत्ति उपलब्ध नहीं	“परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण किताबें, कॉपियाँ और अन्य शैक्षिक सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई होती है।”	आर्थिक असुरक्षा का शैक्षिक अवसरों और संसाधनों पर संभावित प्रभाव
विद्यालयी निरंतरता एवं नियमित उपस्थिति	वास्तविक आवृत्ति उपलब्ध नहीं	“हमारे परिवार को काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। इससे मेरी विद्यालय में नियमित उपस्थिति नहीं हो पाती।”	मौसमी पलायन के कारण अनुपस्थिति एवं पढ़ाई छूटने का जोखिम

शिक्षक एवं विद्यालयी सहयोग	वास्तविक आवृत्ति उपलब्ध नहीं	“नए विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद शिक्षकों के सहयोग से मुझे छूटी हुई पढ़ाई पूरी करने में सहायता मिलती है।”	प्रवासी बच्चों के शैक्षिक समायोजन में शिक्षक समर्थन का महत्त्व
ग्रामीण एवं शहरी शैक्षिक सुविधाओं में अंतर	वास्तविक आवृत्ति उपलब्ध नहीं	“गाँव में विद्यालय दूर होने के कारण आने-जाने में कठिनाई होती थी, जबकि शहर में विद्यालय पास होने पर भी पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल होता है।”	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक बाधाओं की भिन्न प्रकृति

तालिका 5 की व्याख्या

तालिका 5 झारखंड के राँची जिले के ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों की शिक्षा से संबंधित पाँच प्रमुख विषयगत आयामों को प्रस्तुत करती है। इनमें पारिवारिक प्रवासन, आर्थिक कठिनाइयाँ, विद्यालयी निरंतरता, शिक्षक सहयोग तथा ग्रामीण-शहरी शैक्षिक सुविधाओं में अंतर सम्मिलित हैं। उपलब्ध साहित्य के आधार पर इन आयामों को प्रवासी बच्चों की शिक्षा का अध्ययन करने के लिए प्रासंगिक माना जाता है। मौसमी प्रवासन एवं बार-बार निवास परिवर्तन बच्चों के विद्यालय परिवर्तन, नियमित उपस्थिति तथा कक्षागत अधिगम में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त, परिवार की आर्थिक अस्थिरता और शैक्षिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता बच्चों के शैक्षिक अवसरों को प्रभावित करती है।

ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों की समस्याओं की प्रकृति अलग-अलग होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की दूरी, परिवहन सुविधाओं का अभाव तथा रोजगार आधारित पलायन प्रमुख संभावित बाधाएँ हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में अस्थायी आवास, विद्यालयी दस्तावेजों से संबंधित कठिनाइयाँ तथा आर्थिक असुरक्षा महत्वपूर्ण चुनौतियाँ होती हैं। इस संदर्भ में शिक्षकों का सहयोग, अभिभावकों की सहभागिता तथा सरकारी शैक्षिक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बच्चों की विद्यालयी निरंतरता बनाए रखने में सहायक होता है।

4. परिणाम

प्रस्तुत अध्ययन में झारखंड राज्य, विशेषकर राँची जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रवासी बच्चों की शैक्षिक पहुँच, विद्यालयी निरंतरता तथा शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण उपलब्ध सरकारी शैक्षिक आँकड़ों एवं द्वितीयक स्रोतों के आधार पर किया गया है। राँची जिला प्रशासन की शिक्षा संबंधी प्रखंडवार सूची के अनुसार, जिले के 18 प्रखंडों में सूचीबद्ध 2,552 सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक कुल 3,62,492 विद्यार्थियों का नामांकन दर्ज है। इनमें प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5) पर 2,57,783 तथा उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8) पर 1,04,709 विद्यार्थी सम्मिलित हैं। प्रखंडवार विश्लेषण में कांके में सर्वाधिक 85,159 विद्यार्थियों का नामांकन दर्ज है, जबकि तमाड़ में 25,635, बेड़ो में 24,082 तथा मांडर में 22,147 विद्यार्थी नामांकित हैं। ये आँकड़े जिले में विद्यालयी नामांकन के भौगोलिक वितरण को दर्शाते हैं। हालाँकि प्रखंडों की जनसंख्या और विद्यालय संख्या अलग-अलग होने के कारण केवल कुल नामांकन के आधार पर शैक्षिक पहुँच की गुणवत्ता निर्धारित नहीं की जाती।

झारखंड के विद्यालयी निरंतरता संबंधी राज्यस्तरीय आँकड़ों से विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर विद्यालय छोड़ने की स्थिति में अंतर दिखाई देता है। UDISE+ 2023-24 के उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, छात्राओं की विद्यालय छोड़ने की दर प्राथमिक स्तर पर 0.6 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक स्तर पर 8.6 प्रतिशत तथा माध्यमिक स्तर पर 15.1 प्रतिशत दर्ज की गई है। इससे संकेत मिलता है कि उच्च कक्षाओं में विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़े रखना एक महत्वपूर्ण

चुनौती है। तथापि ये दरें राज्य की समग्र छात्रा आबादी से संबंधित हैं, न कि विशेष रूप से प्रवासी बच्चों से। इसलिए इन आँकड़ों को प्रवासी बच्चों की वास्तविक विद्यालय छोड़ने की दर के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। प्रवासी बच्चों की शैक्षिक स्थिति से संबंधित साहित्यिक विश्लेषण में पारिवारिक आर्थिक अस्थिरता, मौसमी पलायन, विद्यालय परिवर्तन, शैक्षिक दस्तावेजों की उपलब्धता तथा नियमित उपस्थिति में व्यवधान जैसे कारक प्रमुख संभावित चुनौतियों के रूप में सामने आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के लिए परिवारों का अन्य स्थानों पर जाना, विद्यालयों की दूरी और परिवहन सुविधाओं की सीमित उपलब्धता बच्चों की शैक्षिक निरंतरता को प्रभावित करती है। दूसरी ओर, शहरी क्षेत्रों में अस्थायी आवास, रोजगार की अनिश्चितता, बार-बार निवास परिवर्तन और नए विद्यालयी वातावरण में समायोजन जैसी परिस्थितियाँ शैक्षिक सहभागिता में बाधा उत्पन्न करती हैं। इन विभिन्न परिस्थितियों के कारण ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता की आवश्यकताएँ भी अलग-अलग होती हैं। पारिवारिक एवं संस्थागत समर्थन का विश्लेषण दर्शाता है कि अभिभावकों की शैक्षिक जागरूकता, शिक्षकों का मार्गदर्शन, विद्यालयी संसाधनों की उपलब्धता तथा सरकारी शैक्षिक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन प्रवासी बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण सहायक कारक होते हैं। बच्चों के विद्यालय स्थानांतरण की स्थिति में सरल प्रवेश प्रक्रिया, छुटी हुई पढ़ाई की पूर्ति तथा विशेष शैक्षिक सहायता उनकी विद्यालयी निरंतरता बनाए रखने में उपयोगी होती है। समग्र रूप से अध्ययन यह संकेत करता है कि प्रवासी बच्चों की शिक्षा का मूल्यांकन केवल विद्यालयों की संख्या एवं नामांकन के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि नियमित उपस्थिति, कक्षागत अधिगम, शैक्षिक प्रगति और विद्यालय छोड़ने की स्थिति को भी महत्व दिया जाना आवश्यक है। उपलब्ध आँकड़ों से प्रवासन और शैक्षिक उपलब्धि के बीच प्रत्यक्ष सांख्यिकीय सहसंबंध अथवा कारणात्मक प्रभाव स्थापित नहीं किया है।

5. चर्चा

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष झारखंड के ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों की शैक्षिक पहुँच तथा विद्यालयी निरंतरता से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक एवं संस्थागत परिस्थितियों को समझने में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। राँची जिले के प्रखंडवार सरकारी शैक्षिक आँकड़ों में विद्यालयों की संख्या तथा विद्यार्थियों के नामांकन में उल्लेखनीय भिन्नताएँ दिखाई देती हैं। विशेष रूप से कांके, तमाड़, बेड़ो एवं मांडर जैसे प्रखंडों में नामांकन के आकार में अंतर स्थानीय जनसंख्या, विद्यालयों के वितरण और शैक्षिक सुविधाओं के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हालाँकि इन आँकड़ों से प्रवासी बच्चों की अलग शैक्षिक स्थिति निर्धारित नहीं होती, फिर भी ये जिले की विद्यालयी व्यवस्था की पृष्ठभूमि को समझने में सहायक हैं। विद्यालयी निरंतरता के संदर्भ में UDISE+ 2023–24 के आँकड़े बताते हैं कि झारखंड में समग्र विद्यालय छोड़ने की दर प्राथमिक स्तर पर 0.9 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक स्तर पर 9.0 प्रतिशत तथा माध्यमिक स्तर पर 15.2 प्रतिशत थी। ये आँकड़े माध्यमिक स्तर पर प्रतिधारण संबंधी चुनौतियों की ओर संकेत करते हैं। प्रवासी बच्चों के संदर्भ में मौसमी पलायन, विद्यालय परिवर्तन, पारिवारिक आर्थिक अस्थिरता तथा शैक्षिक दस्तावेजों से संबंधित कठिनाइयाँ अतिरिक्त बाधाएँ उत्पन्न कर सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार-आधारित पलायन एवं परिवहन सुविधाओं की सीमित उपलब्धता, जबकि शहरी क्षेत्रों में अस्थायी निवास एवं बार-बार स्थान परिवर्तन जैसी परिस्थितियाँ विद्यालयी निरंतरता के अध्ययन में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। तथापि इन दोनों क्षेत्रों में बाधाओं की वास्तविक तीव्रता निर्धारित करने के लिए प्रवासी बच्चों के पृथक आँकड़े आवश्यक हैं। अध्ययन का सैद्धांतिक आधार अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण तथा ब्रॉनफेनब्रेनर के पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत से संबंधित है। क्षमता दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का वास्तविक महत्व बच्चों को उपलब्ध अवसरों एवं क्षमताओं के विस्तार में निहित है। इसी प्रकार, पारिस्थितिकीय सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि परिवार, विद्यालय, समुदाय तथा व्यापक सामाजिक-आर्थिक वातावरण बच्चों के शैक्षिक विकास को प्रभावित कर

सकते हैं। इसलिए प्रवासी बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए केवल विद्यालयी नामांकन बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि नियमित उपस्थिति, अधिगम सहायता, अभिभावकों की सहभागिता तथा स्थानांतरण की स्थिति में शैक्षिक निरंतरता सुनिश्चित करना भी आवश्यक होगा। नीतिगत स्तर पर अध्ययन तीन प्रमुख दिशाओं की ओर संकेत करता है। प्रथम, प्रवासी बच्चों के लिए विद्यालयों में प्रवेश तथा स्थानांतरण की प्रक्रिया सरल और लचीली बनाई जानी चाहिए। द्वितीय, जिन बच्चों की पढ़ाई प्रवासन के कारण बाधित होती है, उनके लिए विशेष शिक्षण सहायता, ब्रिज कोर्स एवं पुनः नामांकन संबंधी सुविधाएँ विकसित की जानी चाहिए। तृतीय, विद्यालयों, अभिभावकों, स्थानीय प्रशासन तथा शिक्षा विभाग के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया। विशेष रूप से राँची जिले में प्रखंड स्तर पर प्रवासी बच्चों की पहचान एवं उनकी शैक्षिक स्थिति का व्यवस्थित अभिलेखीकरण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करने में सहायक होता है। अध्ययन की कुछ सीमाएँ भी हैं। इसका विश्लेषण मुख्यतः उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। राँची जिला प्रशासन की प्रखंडवार शिक्षा संबंधी वेबसाइट अंतिम बार 6 मार्च 2020 को अद्यतन की गई थी और नामांकन तालिका का सटीक संदर्भ वर्ष निर्दिष्ट नहीं है; इसलिए इसे वर्तमान शैक्षणिक सत्र की स्थिति नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, उपलब्ध सरकारी विद्यालयी आँकड़ों में प्रवासी एवं गैर-प्रवासी बच्चों का पृथक वर्गीकरण नहीं होने के कारण ग्रामीण-शहरी प्रवासी बच्चों के बीच सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर स्थापित नहीं किया जा सका। भविष्य के अध्ययनों में वास्तविक प्राथमिक सर्वेक्षण, अभिभावकों एवं शिक्षकों के साक्षात्कार तथा समयानुसार विद्यालयी उपस्थिति और नामांकन संबंधी अभिलेखों का विश्लेषण किया जाना उपयोगी हो।

6. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि झारखंड के ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों की शैक्षिक पहुँच, विद्यालयी निरंतरता तथा शिक्षा की स्थिति को समझने के लिए विद्यालयी संसाधनों, पारिवारिक सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, प्रवासन की प्रकृति तथा संस्थागत सहयोग का संयुक्त विश्लेषण आवश्यक है। राँची जिले के प्रखंडवार सरकारी आँकड़े विद्यालयों एवं विद्यार्थियों के नामांकन के वितरण में विविधता दर्शाते हैं, जबकि झारखंड के राज्यस्तरीय शैक्षिक संकेतक उच्चतर कक्षाओं में विद्यालयी निरंतरता बनाए रखने की चुनौती को रेखांकित करते हैं। यद्यपि उपलब्ध आँकड़े प्रवासी बच्चों की पृथक शैक्षिक स्थिति का प्रत्यक्ष मापन नहीं करते, फिर भी वे प्रवासन एवं शिक्षा के अंतर्संबंध पर विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता को स्थापित करते हैं।

ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लचीली विद्यालयी प्रवेश व्यवस्था, नियमित उपस्थिति की निगरानी, स्थानांतरण के बाद पुनः नामांकन, विशेष अधिगम सहायता तथा अभिभावकों एवं शिक्षकों के बीच समन्वय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रवासी बच्चों की पहचान और उनकी शैक्षिक प्रगति का प्रखंड एवं जिला स्तर पर व्यवस्थित अभिलेखीकरण भी आवश्यक है। इस प्रकार, झारखंड में प्रवासी बच्चों के लिए केवल विद्यालयों तक पहुँच सुनिश्चित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी समावेशी एवं उत्तरदायी शैक्षिक व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है, जो प्रवासन की परिस्थितियों में भी उनकी शिक्षा की निरंतरता, गुणवत्ता तथा समान अवसरों को सुनिश्चित कर सके।

संदर्भ सूची

1. यंग लाइव्स इंडिया एवं यूनिसेफ इंडिया। (2020)। भारत में बाल प्रवासन को समझना (Understanding Child Migration in India)। यूनिसेफ इंडिया। [आधिकारिक स्रोत](#)।

2. यूनेस्को। (2019)। प्रवासन, विस्थापन और शिक्षा: दीवारें नहीं, सेतु बनाएँ (Migration, Displacement and Education: Building Bridges, Not Walls)। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट, यूनेस्को। [आधिकारिक स्रोत](#)।
3. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। (2024)। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (UDISE+) 2023–24: भारत में स्कूली शिक्षा संबंधी प्रतिवेदन। नई दिल्ली: भारत सरकार। [आधिकारिक रिपोर्ट](#)।
4. भारत सरकार, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय। (2011)। भारत की जनगणना 2011: तालिका D-05—झारखंड में पूर्व निवास स्थान, आयु, लिंग, प्रवासन के कारण एवं निवास अवधि के अनुसार प्रवासियों का विवरण। गृह मंत्रालय, भारत सरकार। [आधिकारिक आँकड़े](#)।
5. जिला प्रशासन, राँची, झारखंड सरकार। (तिथि निर्दिष्ट नहीं)। राँची जिले में शिक्षा: प्रखंडवार विद्यालयों की संख्या एवं सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन। [राँची जिला प्रशासन की वेबसाइट](#)।
6. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद। (तिथि निर्दिष्ट नहीं)। झारखंड में विद्यालयी शिक्षा एवं शैक्षिक विकास संबंधी आधिकारिक सूचनाएँ। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार। [आधिकारिक वेबसाइट](#)।
7. भारत सरकार। (2009)। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009। विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।
8. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नई दिल्ली: भारत सरकार।
9. सेन, ए. (1999)। स्वतंत्रता के रूप में विकास (Development as Freedom)। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
10. ब्रॉनफेनब्रेनर, यू. (1979)। मानव विकास की पारिस्थितिकी: प्रकृति और अभिकल्प द्वारा प्रयोग (The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design)। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
11. क्रेसवेल, जे. डब्ल्यू., एवं प्लानो क्लार्क, वी. एल. (2018)। मिश्रित-पद्धति अनुसंधान का अभिकल्पन एवं संचालन (Designing and Conducting Mixed Methods Research) (तीसरा संस्करण)। सेज प्रकाशन।
12. यूनिसेफ इनोसेंटी। (2024)। भारत में बाल श्रम एवं विद्यालयी शिक्षा का पुनर्मूल्यांकन (Child Labour and Schooling in India: A Reappraisal)। यूनिसेफ।
13. संयुक्त राष्ट्र। (1989)। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (Convention on the Rights of the Child)। संयुक्त राष्ट्र।
14. संयुक्त राष्ट्र। (2015)। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development)। संयुक्त राष्ट्र।